RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अगस्त
30
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

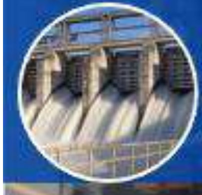

By Ankit Avasthi Sir

पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया / Former RBI Governor Urjit Patel appointed as IMF Executive Director

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री **डॉ. उर्जित पटेल** को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सरकार ने उनकी तीन साल की इस जिम्मेदारी को मंजूरी दी

- यह आदेश 28 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में जारी हुआ, जिस पर मंत्रालय की सचिव मनीषा सक्सेना ने हस्ताक्षर किए हैं।

No. 36/01/2025-EO(SM-I)
Government of India
Secretariat of the
Appointments Committee of the Cabinet
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi, 28.08.2026

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the **appointment** of **Dr. Urjit Patel**, Economist and Former RBI Governor, to the post of **Executive Director** (ED) at the **International Monetary Fund**, for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.

(Manisha Saxena)
Secretary
Appointments Committee of the Cabinet
& Establishment Officer

पृष्ठभूमि:

- मौजूदा कार्यकारी निदेशक डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल अप्रत्याशित रूप से 30 अप्रैल 2025 को समाप्त कर दिया गया।
- डॉ. सुब्रमण्यम का तीन साल का कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा होना था।
- IMF की आधिकारिक वेबसाइट पर 2 मई तक उनका नाम कार्यकारी निदेशक के रूप में दर्ज था, लेकिन 3 मई से यह पद रिक्त दिखने लगा।
- डॉ. सुब्रमण्यम को अगस्त 2022 में IMF बोर्ड में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था।
- इससे पहले वे 2018 से 2021 तक भारत सरकार के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) रहे।

उर्जित पटेल की प्रमुख जिम्मेदारियां:

1. **सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व:** भारत और समूह के अन्य देशों की आर्थिक नीतियों और हितों को IMF बोर्ड में प्रस्तुत करना।
2. **आर्थिक नीति विश्लेषण:** ग्लोबल, रीजनल और राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन और समीक्षा करना।
3. **IMF के दैनिक कामकाज की निगरानी:** बोर्ड के निर्णयों के क्रियान्वयन और IMF के रोजाना संचालन की देखरेख।
4. **वित्तीय सहायता का अनुमोदन:** IMF द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय मदद और कर्ज के प्रस्तावों की समीक्षा और मंजूरी में भाग लेना।
5. **क्षमता निर्माण (Capacity Development):** देशों को आर्थिक नीति, वित्तीय प्रबंधन और सुधार प्रयासों में सहायता देने की योजनाओं का मार्गदर्शन और निगरानी करना।

उर्जित पटेल: शैक्षिक और पेशेवर पृष्ठभूमि

जन्म और प्रारंभिक करियर:

- जन्म: 1963
- 1998–2001: भारत के वित्त मंत्रालय में सलाहकार के रूप में कार्य।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यभार:

RBI में भूमिका:

- 2016: रघुराम राजन के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 24वें गवर्नर बने।
- दिसंबर 2018: लाभांश हस्तांतरण को लेकर सरकार के साथ विवाद के बीच अचानक इस्तीफा।
- गवर्नर बनने से पहले: RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में विभिन्न विभागों का **नेतृत्व**: मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति अनुसंधान, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन, जमा बीमा, संचार और सूचना का अधिकार

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 44 देशों द्वारा की गई थी। भारत भी IMF का संस्थापक सदस्य है। 1 मार्च 1947 से इसने कार्य करना शुरू किया और उसी वर्ष फ्रांस IMF से ऋण प्राप्त करने वाला पहला देश बना।

- इसका **मुख्यालय** वॉशिंगटन डी.सी. में स्थित है
- वर्तमान में इसके **सदस्य देशों की संख्या** 190 है।

IMF के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना
- वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाना
- उच्च स्तर के रोजगार और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा
- वैश्विक स्तर पर गरीबी को कम करना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का शासन ढांचा:

1. गवर्नर्स बोर्ड (Board of Governors)
2. मंत्रिस्तरीय समितियाँ (Ministerial Committees)
3. कार्यकारी निदेशक मंडल (Executive Board)

भारत में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार / India Crosses 1-Crore Teacher Mark, Dropouts Decline

संदर्भ:

UDISE रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार देश में पहली बार किसी शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की संख्या **1 करोड़** से अधिक हो गई है। यह आंकड़ा अब **1.01 करोड़** तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के **98 लाख** से कहीं ज्यादा है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

1. पुरुषों से अधिक महिला शिक्षक: रिपोर्ट के अनुसार, देश में अब महिला शिक्षकों की संख्या पुरुष शिक्षकों से अधिक हो गई है। 2014 से अब तक नियुक्त हुए 51.36 लाख शिक्षकों में 61% महिलाएँ रही हैं। वर्तमान में महिला शिक्षकों की संख्या 54.81 लाख है, जबकि पुरुष शिक्षकों की संख्या 46.41 लाख है।

2. छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार: विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर छात्र-शिक्षक अनुपात में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। यह अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सुझाए गए 1:30 मानक से भी बेहतर है। इससे शिक्षकों और छात्रों के बीच व्यक्तिगत ध्यान और संवाद की गुणवत्ता बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर शिक्षण अनुभव और उच्च शैक्षणिक परिणाम सामने आए हैं।

3. ड्रॉपआउट दर में गिरावट: 2024-25 में स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।

- प्राथमिक स्तर: 3.7% से घटकर 2.3%
- मध्य स्तर: 5.2% से घटकर 3.5%
- माध्यमिक स्तर: 10.9% से घटकर 8.2%

साथ ही, पढ़ाई जारी रखने (Retention Rate) की दर में भी वृद्धि हुई है।

- आधारभूत स्तर: 98.0% से बढ़कर 98.9%
- प्राथमिक स्तर: 85.4% से बढ़कर 92.4%
- माध्यमिक स्तर: 78.0% से बढ़कर 82.8%

4. छात्रों की रिटेंशन दर में सुधार: 2024-25 में छात्रों के स्कूल में बने रहने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषकर माध्यमिक स्तर पर यह सुधार अधिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता और बेहतर पहुँच के कारण संभव हुआ है। यह शिक्षा प्रणाली में प्रगति और लक्षित पहलों के सकारात्मक प्रभाव का स्पष्ट संकेत है।

5. शून्य नामांकन और एकल-शिक्षक स्कूलों में कमी: समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में लगभग 38% की भारी कमी आई है। वहीं, एकल-शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में भी करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई है। यह परिवर्तन सरकारी नीतियों और पहलों की सफलता को दर्शाता है।

6. विद्यालयी बुनियादी ढांचे में सुधार: कंप्यूटर सुविधा वाले विद्यालयों की संख्या 57.2% (2023-24) से बढ़कर 64.7% (2024-25) हो गई है।

7. बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल पहुंच में सुधार:

- देशभर के स्कूलों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- 99.3% स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध है।
- 93.6% स्कूलों में बिजली की सुविधा है।
- 97.3% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध हैं।
- डिजिटल पहुंच में भी प्रगति हुई है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पिछले वर्ष के 53.9% से बढ़कर इस वर्ष 63.5% हो गई है।

यूडीआइएसई प्लस (UDISE+) क्या है?

UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) भारत की केंद्रीकृत शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जिसे शिक्षा मंत्रालय संचालित करता है। यह सभी स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के वास्तविक समय डेटा को एकत्र करता है।

मुख्य कार्य:

1. **डेटा संग्रह:** स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के बारे में जानकारी एकत्र करता है, जैसे स्कूल का स्थान, शिक्षक और छात्र संख्या, नामांकन, बुनियादी ढांचा और शिक्षा से संबंधित अन्य विवरण।
2. **गुणवत्ता सुधार:** शैक्षिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाता है।
3. **नीति निर्माण:** आंकड़ों के आधार पर सरकार को साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने और संसाधनों का प्रभावी आवंटन करने में मदद करता है।
4. **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, स्वचालित डेटा सत्यापन और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस जैसी तकनीकों का उपयोग करता है।

नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेंस सेफ्टी रिपोर्ट 2025 / National Annual Report and Index on Women's Safety (NARI) Report 2025

संदर्भ:

राष्ट्रीय महिला आयोग (NMC) ने हाल ही में **नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेंस सेफ्टी (NARI) 2025** जारी किया है।

- **रिपोर्ट के अनुसार,** देश के शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई को सबसे सुरक्षित शहरों में स्थान दिया गया है।
- जबकि रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना और जयपुर को सबसे कम सुरक्षित शहरों में गिना गया है।

महिला सुरक्षा पर सर्वेक्षण का निष्कर्ष:

- **सर्वेक्षण का दायरा:** 18 वर्ष से अधिक आयु की 12,770 महिलाओं से राय ली गई।
- **महिला सुरक्षा की धारणा:** देशभर में औसतन **64.6% महिलाएं** अपने शहर में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसका मतलब है कि लगभग **35–36% महिलाएं** स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं।
- **मापदंड:** महिला सुरक्षा का आकलन केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल हैं: संपूर्ण सुरक्षा, पड़ोस और स्थानीय परिवेश, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा संस्थान, कार्यस्थल, स्वास्थ्य सेवाएँ, मनोरंजन और सार्वजनिक स्थल, ऑनलाइन उत्पीड़न
- **संपर्क और शिकायत प्रणाली:** यह मापदंड ढांचागत संसाधनों के अलावा उत्पीड़न की घटनाओं और उनकी शिकायतों को भी ध्यान में रखते हैं।

NARI-2025 रिपोर्ट:

- **सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा:** हर तीन में से दो महिलाओं ने कहा कि वे उत्पीड़न की शिकायत नहीं करतीं। 2024 में 7% महिलाओं ने सार्वजनिक उत्पीड़न का अनुभव किया; 18–24 वर्ष की युवतियाँ सबसे ज्यादा प्रभावित।
- **शिकायत और कार्रवाई:** 33% ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन केवल 16% मामलों में कार्रवाई हुई। केवल 25% महिलाओं को शासन-प्रशासन की प्रभावी कार्रवाई पर भरोसा।
- **रात का समय और असुरक्षा:** रात में असुरक्षा की भावना अधिक; कारण—अपर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग, सीमित पुलिस पेट्रोलिंग और सामाजिक रवैया।
- **कार्यस्थल:** 91% महिलाएं कार्यस्थल को सुरक्षित मानती हैं। लगभग आधी महिलाओं को POSH नीति की जानकारी नहीं। 69% ने सुरक्षा उपाय "कुछ हद तक पर्याप्त" बताया, 30% से अधिक ने कमियाँ इंगित की।
- **मुख्य उत्पीड़न स्थल:** पड़ोस (38%) और परिवहन (29%) प्रमुख केंद्र। कार्यस्थल अपेक्षाकृत सुरक्षित, लेकिन बाहर असुरक्षा अधिक।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानूनी प्रतिक्रिया में चुनौतियाँ:

- **अपर्याप्त कानूनी कार्रवाई:** हिंसा के मामलों का अक्सर प्रभावी समाधान नहीं होता, जैसा कि कोलकाता के एक मामले में देखा गया।
- **कम सजा और दोषसिद्धि दर:** दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी दोषसिद्धि कम होती है, क्योंकि अक्सर मामले शांति समझौते में बदल जाते हैं।
- **घरेलू हिंसा पर कमजोर कानून:** घरेलू हिंसा से जुड़े कानून कम प्रभावी हैं और अपराधियों को न्यूनतम सजा मिलती है।
- **सहज जमानत नियम:** पीछा करने और उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों में अपराधियों को आसानी से जमानत मिल जाती है।
- **धीमा न्यायिक प्रक्रिया:** मुकदमे लंबित रहते हैं और कई मामलों को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना निपटाया जाता है

भारत में महिला सुरक्षा के लिए किए गए उपाय:

- **निर्भया फंड (2013):** महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पैनिक बटन, सीसीटीवी निगरानी जैसी सुरक्षा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **वन स्टॉप सेंटर (OSC) योजना (2015):** हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी एकीकृत सहायता उपलब्ध कराती है।
- **महिला हेल्पलाइन (181):** संकट में महिलाओं को 24/7 तत्काल और आपातकालीन सहायता, पुलिस, अस्पताल और वन स्टॉप सेंटर से संपर्क उपलब्ध कराती है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015):** लिंग आधारित भेदभाव को कम करने और बालिकाओं की स्थिति व कल्याण में सुधार लाने के लिए कार्यरत।मिशन शक्ति: महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए व्यापक अभियान, जिसमें सुरक्षा ("संबल") और सशक्तिकरण ("समर्थ्य") के उप-योजनाएँ शामिल हैं।
- **उज्ज्वला योजना:** मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार महिलाओं को बचाने, पुनर्वासित करने और समाज में पुन: एकीकृत करने पर केंद्रित।

वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों में ही मनरेगा बजट का लगभग 60% खर्च / Nearly 60% of MGNREGS budget already spent in first 5 months of financial year

संदर्भ:

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)** के लिए 2025-26 के बजट का **लगभग 60% खर्च** हो चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष की **दूसरी तिमाही खत्म होने में अभी एक महीना बाकी** है। कुल ₹86,000 करोड़ के बजट में से ₹51,521 करोड़ अब तक खर्च हो चुके हैं।

मनरेगा के खर्च पर नया नियम:

- **पहली बार खर्च सीमा:** हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मनरेगा के खर्च को कुल आवंटन का 60% तक सीमित किया गया।
- **व्यवस्था में बदलाव:** अब मनरेगा मंथली/क्वार्टरली एक्सपेंडिचर प्लान (MEP/QEP) के तहत आएगा, जो वित्त मंत्रालय की खर्च नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा है। पहले यह योजना पूरी तरह मांग आधारित थी।
- **बजट और प्राथमिक खर्च:** कुल बजट ₹86,000 करोड़; पहली छमाही में खर्च केवल ₹51,600 करोड़ तक सीमित। पिछले वर्ष की लंबित देनदारियां लगभग ₹21,000 करोड़।
- **योजना गतिविधियाँ:** ग्रामीण सड़क निर्माण, सिंचाई, जल संरक्षण और अन्य रोजगार संबंधी कार्य।
- **संभावित प्रभाव:** इस खर्च नियंत्रण के बावजूद ग्रामीणों की 100 दिनों की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन करने और दैनिक मजदूरी ₹370 से ₹400 करने की मांगें उठ रही हैं। कुछ राज्यों में पहले से ₹400 प्रतिदिन लागू है।

MGNREGA के बारे में?

MGNREGA का पूरा नाम **Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005** है। यह भारत सरकार द्वारा 2005 में पारित एक कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को **रोजगार का अधिकार** प्रदान करना है।

मुख्य बातें:

- इस कानून के तहत **योग्य ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिन का असंगठित श्रम** सुनिश्चित किया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और उनकी **आर्थिक स्थिति सुधारना** है।
- MGNREGA के पीछे कई संगठनों और व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनमें **मजदूर किसान शक्ति संगठन** और प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री **जीन ड्रेज़** शामिल हैं।
- MKSS ने सरकार के सूखा राहत कार्यक्रमों में श्रमिकों को संगठित करने की पहल की, जिसने लंबे समय तक सक्रियता के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अंततः **MGNREGA के निर्माण** में योगदान दिया।

MGNREGA के प्रमुख प्रावधान:

1. **पात्रता:**
   - आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
   - आवेदन के समय आयु **18 वर्ष या उससे अधिक** हो।
   - आवेदक **ग्रामीण परिवार** का सदस्य होना चाहिए।
   - असंगठित कार्य करने के लिए इच्छुक होना।
2. **रोजगार की गारंटी:** MGNREGA योजना के तहत सभी इच्छुक ग्रामीण नागरिकों को **कम से कम 100 दिन का असंगठित रोजगार** सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन पर उपलब्ध कराया जाता है।
3. **बेरोजगारी भत्ता:** यदि आवेदक को **15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता**, तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने का अधिकार है। पहले 30 दिनों के लिए भत्ता न्यूनतम वेतन का 1/4 और उसके बाद का आधा (1/2) प्रदान किया जाता है।
4. **सामाजिक ऑडिट:** MGNREGA की धारा 17 के तहत सभी कार्यों का **सामाजिक ऑडिट** अनिवार्य है।
5. **निवास के पास रोजगार का प्राथमिकता:** आवेदकों को आमतौर पर **गांव से 5 किमी के दायरे में काम** प्रदान किया जाता है। यदि कार्य 5 किमी से अधिक दूर है, तो आवेदक को **यात्रा भत्ता** उपलब्ध कराया जाता है।
6. **विकेंद्रीकृत योजना:** MGNREGA के कार्यों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में **पंचायती राज संस्थान** की प्रमुख भूमिका होती है। **ग्राम सभाओं** को काम सुझाने और कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार होता है। योजना के अनुसार, कम से कम आधे कार्यों को ग्राम सभा के मार्गदर्शन में पूरा करना अनिवार्य है।
7. **कार्य की शर्तें और भुगतान:** कार्य के दौरान उचित कार्य परिस्थितियों, चिकित्सा सुविधाओं और मुआवजे की व्यवस्था करना **अनिवार्य** है। भुगतान **साप्ताहिक आधार पर** किया जाता है और 15 दिनों से अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। विलंब होने पर मुआवजा दिया जाता है।

इसरो का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हस्तांतरण / ISRO's Space Tech Transfer

संदर्भ:

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने इसरो द्वारा विकसित पाँच स्वदेशी तकनीकों का हस्तांतरण पाँच भारतीय कंपनियों को कराया है। इस पहल का उद्देश्य वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को सशक्त करना, आयात पर निर्भरता कम करना और अंतरिक्ष तकनीकों के व्यापक उपयोग को ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल तथा औद्योगिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों तक पहुँचाना है।

भारत का स्पेस इंडस्ट्री (Space Industry) में योगदान:

- भारत की **स्पेस इकॉनमी** लगभग **8 अरब डॉलर** की है, जो वैश्विक स्पेस इकॉनमी का **2-3%** है।
- अनुमान है कि यह हिस्सा **2030 तक 8%** और **2047 तक 15%** तक पहुँच जाएगा।
- भारत में **400 से अधिक प्राइवेट स्पेस कंपनियाँ** हैं और इस मामले में भारत विश्व में **पाँचवें स्थान** पर है।

स्पेस इंडस्ट्री में निजी क्षेत्र (Private Players):

- भारत में **स्पेस स्टार्टअप्स** की संख्या 2022 में केवल **1** थी, जो 2024 में बढ़कर लगभग **200** हो गई।
- इन स्टार्टअप्स ने **2021 में 67.2 मिलियन डॉलर** की फंडिंग पाई थी, जो **2023 में बढ़कर 124.7 मिलियन डॉलर** तक पहुँच गई।
- **Skyroot** ने भारत का पहला **निजी रॉकेट "Vikram-S"** लॉन्च किया, जो भविष्य में **सैटेलाइट लॉन्चिंग** में क्रांति ला सकता है।

निजी क्षेत्र के नियमन:

1. **IN-SPACe (National Space Promotion and Authorisation Centre):**
   - डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक **स्वायत्त निकाय** और **सिंगल-विंडो एजेंसी** है।
   - यह सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की **स्पेस गतिविधियों को बढ़ावा और नियमन** करता है।
2. **NSIL (NewSpace India Ltd.):**
   - डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की **कमर्शियल शाखा** है।
   - ISRO द्वारा विकसित **टेक्नोलॉजी का व्यावसायीकरण** करती है।
   - **स्पेस एसेट्स का निर्माण व खरीद** करती है और सरकारी व निजी दोनों क्लाइंट्स को सेवा देती है।

स्पेस सेक्टर के निजीकरण का महत्व:

- **व्यावसायीकरण:** प्राइवेट कंपनियाँ कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, नेविगेशन और कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में उपयोगी समाधान देती हैं।
- **रोजगार व आत्मनिर्भरता:** निजीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, आधुनिक तकनीक अपनाई जाती है और भारत का स्पेस सेक्टर आत्मनिर्भर बनता है।
- **लागत में कमी (Cost Reduction):** निजी कंपनियाँ प्रॉफिट मोटिव से काम करती हैं, जिससे मिशन और लॉन्चिंग सस्ते हो जाते हैं।
- **प्रतिस्पर्धा व नवाचार:** निजीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, दक्षता और नवाचार में सुधार होता है।

स्पेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लाभ:

1. **भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा:**
   - सेंसर, बैटरी और LiDAR-आधारित सिस्टम का घरेलू उत्पादन
   - आयात पर निर्भरता कम होगी
   - लागत घटेगी और स्थानीय उद्योग मज़बूत होंगे
   - *आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat)* को बल मिलेगा
2. **औद्योगिक प्रतिस्पर्धा:**
   - एयरोस्पेस, हेल्थकेयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारतीय स्टार्टअप्स और MSMEs को नई तकनीक का लाभ
   - इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने का अवसर
   - उद्यमिता (Entrepreneurship) को प्रोत्साहन
3. **जन सुरक्षा और शहरी प्रबंधन:**
   - बड़े आयोजनों में भगदड़ (Stampede) की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद
   - LiDAR आधारित भीड़ निगरानी सिस्टम (Crowd Monitoring Solutions)
   - पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन और शहरी योजना (Urban Planning) को मज़बूती

माउंट फूजी / Mount Fuji

संदर्भ:

जापान ने संभावित ज्वालामुखी आपदा की तैयारी के लिए माउंट फूजी के विस्फोट का एआई आधारित सिमुलेशन जारी किया है। 1707 के बाद से शांत रहे इस सक्रिय ज्वालामुखी को लेकर, "वॉल्केनिक डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस डे" पर अधिकारियों ने कंप्यूटर और एआई-जनित वीडियो प्रदर्शित किए, जिनमें टोक्यो पर संभावित भीषण विस्फोट के प्रभाव को दिखाया गया है।

माउंट फूजी (Mount Fuji):

- **ऊंचाई** – 3,776 मीटर, जापान का सबसे ऊँचा पर्वत।
- **स्थान** – होंशू द्वीप पर, यामानाशी और शिज़ुओका प्रान्त में, प्रशांत महासागर के तट के पास।
- **टोक्यो से दूरी** – लगभग 100 किमी (60 मील) पूर्व में।
- **प्रकार** – सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो
- **अंतिम विस्फोट** – सन् 1707–1708 में।
- **ज्वालामुखी क्षेत्र** – फूजी वॉल्केनिक ज़ोन का हिस्सा।
- **विशेष स्थान** –
  - विश्व में द्वीप पर स्थित **सातवाँ सबसे ऊँचा पर्वत**।
  - एशिया का द्वीप पर स्थित **दूसरा सबसे ऊँचा ज्वालामुखी**।
- **धार्मिक महत्व** – जापान के "तीन पवित्र पर्वतों" (Three Holy Mountains) में से एक, अन्य दो हैं माउंट टेटे और माउंट हाकु।
- **संरक्षण और मान्यता** –
  - 1936 में फूजी-हाकोने-इज़ु नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण।
  - 2013 में UNESCO World Heritage Site घोषित।
- **भूगर्भीय आयु** – अनुमानतः 2.6 मिलियन वर्ष पुराना, आधारशिला 65 मिलियन वर्ष तक पुरानी।
- **प्राचीन पूर्वज पर्वत** – कोमिताके (उत्तर ढलान पर) और अशिताका-यामा (दक्षिण-पूर्व में)।

राष्ट्रीय खेल दिवस / National Sports Day

संदर्भ:

राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत हॉकी के इतिहास के महान खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद को नमन करता है, जिनकी विरासत आज भी पीढ़ियों के खिलाड़ियों को प्रेरित करती है।

राष्ट्रीय खेल दिवस (National Sports Day):

- भारत सरकार ने **2012 में 29 अगस्त** को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया।
- इसका उद्देश्य खेलों और शारीरिक गतिविधियों के महत्व को उजागर करना और भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी **मेजर ध्यानचंद** की विरासत को सम्मान देना है।
- इस वर्ष का उत्सव तीन दिवसीय **Sports Movement** के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका थीम है – *"Ek Ghanta, Khel ke Maidan Main"*।
- भारत में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चल रहे हैं जैसे – **Khelo India** और **Fit India Movement**।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **International Sports Day** हर साल **6 अप्रैल** को मनाया जाता है, जो एथेंस में हुए पहले ओलंपिक खेलों की याद दिलाता है।

मेजर ध्यानचंद (Major Dhyan Chand):

- इन्हें हॉकी का **"जादूगर" (Wizard of Hockey)** कहा जाता है।
- उपलब्धियां:
  - 1928 (एम्स्टर्डम), 1932 (लॉस एंजेलिस), और 1936 (बर्लिन) ओलंपिक में **स्वर्ण पदक** जीते।
- सम्मान: 1956 में भारत सरकार ने उन्हें देश का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान **पद्म भूषण** प्रदान किया।

GS FOUNDATION
For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
COURSE FEE
~~₹4000/-~~
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
Baaten Bazar Ki
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

BBK
BaatenBazar ki

EMI AVAILABLE

+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR